Commonwealth Department of Health and Aged Care

ANZFA
Australia New Zealand Food Authority
TE MANA WHAKARITE KAI MŌ Ā ITEREIRIA ME AOTEAROA

ANZFA Factsheet

Hindi

Food Safety Standards – Food business notification requirement

खाद्य सुरक्षा मापदंड -खाद्य व्यवसाय की अधिसूचना देने की मांग

तीसरा अध्याय (केवल आस्ट्रेलिया) आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड खाद्य मापदंडों की संहिता

ध्यान दें : नये खाद्य सुरक्षा मापदंड न्यूज़ीलैंड में लागू नहीं होते। आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के मध्य खाद्य पदार्थों के मापदंडो की संधि के आदेशों में खाद्य पदार्थों की स्वच्छता के मापदंड शामिल नहीं हैं।

अधिसूचना देने की मांग किस पर लागू होती है ?

आस्ट्रेलिया में सूचना देने की मांग लगभग हर व्यवसाय पर लागू होती है। आस्ट्रेलिया में एक खाद्य व्यवसाय कोई ऐसा व्यवसाय या गतिविधि है जिसमें खाद्य पदार्थ बेचा जाता है या किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को बेचने के लिए उसके साथ काम किया हाता है, इसका अपवाद है कुछ मौलिक खाद्य उत्पादन की गतिविधियां।

इसका मतलब है कि सूचना देने की मांग धर्मार्थ या समुदायिक कारणों व व्यापारिक संकटपूर्ण कार्यो और एक बार ही किए जाने वाली परियोजनाओं पर, जिनमें खाद्य पदार्थ के साथ काम करना व बेचना शामिल है, लागू होती है। यह उन व्यवसायों पर भी लागू होती है जो स्वयं को खाद्य व्यवसाय नहीं मानते जैसेकि कैमिस्ट , सिनेमा,नुक्कड़ की दुकान ,पैट्रोल स्टेशन और तैराकी ताल, यदि वे पैकेट वाला या किसी अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचते हैं।

अपवाद नीचे दिए हैं :

- फार्म, अंगूरों का बाग, फ़लों का बाग, मत्स्य पालन फार्म जैसे व्यवसाय बशर्ते कि वे लोगों को सीधे खाद्य पदार्थ बेचते या सप्लाई न करते हों या जो उत्पादित खाद्य पदार्थ को संसाधित नहीं करते।
- विशिष्ट खाद्य पदार्थ बेचने वाली मशीनों या केवल खाद्य पदार्थ को ढोने वाले वाहनों के लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं है,लेकिन जो खाद्य व्यवसाय खाद्य पदार्थ बेचने वाली मशीनों या केवल खाद्य पदार्थ को ढोने वाले वाहन चलाते हैं,उन्हें अपने व्यापार के लिए वांछित सूचना देनी होगी।

धर्मार्थ या समुदायिक गुटों को सूचना देने से पहले अपनी स्थानिय क्रियान्वन एजेंसी से परामर्श करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप के राज्य या क्षेत्र में आसान प्रबंध ही लागू हों। एक सामान्य नियम के तौर पर यद्यपि जब भी खाद्य पदार्थ बेचने से संबधित किसी घटना की योजना हो तो उन्हें उपयुक्त क्रियान्वन एजेंसी को सूचित करना होगा।

यदि मैं पहले से ही एक पंजीकृत या आज्ञाप्राप्त खाद्य व्यवसाय हूं तो क्या करूं ?

कुछ नहीं। सूचना केवल इसलिए चाहिए कि क्रियान्वन एजेंसियों को अपने क्षेत्र के खाद्य व्यवसायों का ज्ञान रहे और उनसे कैसे संपर्क करना है और आपके व्यवसाय से संबधित खाद्य सुरक्षा खतरों पर दिशानिर्देश देने के लिए।
राज्य व क्षेत्र अपने राज्य व क्षेत्र में खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण की आवश्यकताओं पर फैसला करते रहेंगे। यदि आप पंजीकरण मांग के अधीन आते हैं तो आप नई सूचना देने की मांग से प्रभावित नहीं होंगे।
सूचना देने की मांग केवल उन्हीं खाद्य व्यवसायों पर लागू होती है जो अभी पंजीकृत नहीं हैं और उन राज्यों के सभी खाद्य व्यवसायों पर जहां अभी खाद्य व्यवसाय पंजीकरण व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

यदि मैं पहले से ही एक पंजीकृत या आज्ञाप्राप्त खाद्य व्यवसाय नही हूं तो क्या करूं ?

खाद्य सुरक्षा मापदंड *३.२.२ फ़ूड सेफ़्टी प्रैक्टिसिस एन्ड जनरल रिक्वायरमैंटस* के अर्न्तगत खाद्य व्यवसायों को अपने क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए उत्तरदायी क्रियान्वन एजेंसी को निम्न सूचना अवश्य देनी होगी । यह सामान्यतः उनकी स्थानिय परिषद होगी या कुछ राज्यों व क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग या लोक या वातावरण स्वास्थ्य खंड होगे ,यह प्रत्येक अधिकारक्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है।

सूचना देना एक स्वीकृति की क्रिया नहीं है और आपको कोई विशेष शर्तें पूरी नहीं करनी। किन्तु आप क्रियान्वन एजेंसी को :

- अपने व्यवसाय के संपर्क का विस्तार अवश्य दें जिसमें व्यवसाय का नाम और व्यवसाय के मालिक का व्यवसायिक पता हो;

यह अनुवाद *कॉमनवैल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ एण्ड एजड केयर* के सौजन्य से किया गया है।

- मदद करने के लिए जानकारी दें जिससे वह आपके व्यवसाय से संबधित खाद्य सुरक्षा खतरे को आंक सके -इसमें व्यवसाय के प्रकार की (जैसे कि परचून, निर्माता, परिवहन, भंडारी, रैस्टोरेंट या छोटी दुकान), और जो खाद्य पदार्थ यह बनाता है या आपूर्ती करता है, व्यापार का आकार और अधिक खतरे वाले उत्पादनों की आपूर्ती से संबधित कुछ विशेष प्रश्न और जिन लोगों को खाद्य जनित रोग होने की बहुत संभावना है उन्हें उत्पादनों की आपूर्ती की जानकारी शामिल हैं ; और
- क्रियान्वन एजेंसी के क्षेत्र में आपके सभी प्रांगणों की स्थिति।

चलते फिरते खाद्य पदार्थ बेचने वालों को भी जहां वे काम करते हैं उन स्थानों की जानकारी देनी होगी और जहां वे अपना वाहन रखते या खड़ा करते हैं।

सूचना देने की जरूरत कब से लागू होगी ?

मापदंड *३. २. २ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसिस एन्ड जनरल रिक्वायरमैंटस* के अर्न्तगत, सूचना देने की जरूरत फरवरी २००२ में लागू होगी। किन्तु कुछ राज्यों व क्षेत्रों में बाद की तिथि भी हो सकती है। यह निर्भर करगा कि कौन से राज्य व क्षेत्र अपने खाद्य कानून या अधिनियम नए मापदंड लागू करने के लिए बदलते हैं और क्या वे इस नई मांग के लिए बारह महीने की आरम्भिक अवधि को चुनते हैं या इस मांग के प्रारम्भ की तिथि फरवरी २००२ ही रखते हैं।

स्थायी व्यवसायों के लिए इस अवधि के तीन महीने के अन्दर यह सूचना देनी चाहिए। नए खाद्य व्यवसायों के लिए यह मांग उसी समय ही लागू होगी जैसे ही हर राज्य व क्षेत्र में यह मांग लागू होती है और व्यवसाय शुरू करने से पहले ही सूचना देनी होगी।

क्या मुझे एक बार से अधिक सूचना देनी होगी ?

नहीं। एक ही बार सूचना देनी होगी , जबतक कि दी गई सूचना ठीक है। किन्तु जबभी कोई परिवर्तन होता है ,उदाहरण के लिए, व्यवसाय का नाम,पता या व्यवसाय का मालिक,या यह क्या करता है और किस खाद्य पदार्थ के साथ काम करता है तब आप इन परिवर्तनों के होने से पहले क्रियान्वन एजेंसी को अवश्य बताएं।

क्या सूचना देने का कोई प्रपत्र है ?

स्थानीय क्रियान्वन एजेंसियों के लिए सूचना देने वाले प्रपत्रों के नमूने तैयार किए गए हैं। कुछ की रुपरेखा अलग हो सकती है लेकिन उन सब में एक जैसी जानकारी पूछी जाएगी। ए एन जैड एफ ए के सूचना देने वाले दस्तावेज़ में इस विषय पर और अधिक मार्ग प्रदर्शन है। यह दस्तावेज़ जून २००१ में प्रकाशित होगा। यह ए एन जैड एफ ए की वेबसाईट पर भी मिल सकेगी। अपने क्षेत्र में सूचना प्रपत्रों के लिए अपनी स्थानीय परिषद् या लोक स्वास्थय खंड को सूचना देने की मांग की जानकारी के लिए संपर्क करें।

अधिक जानकारी चाहिए ?

मापदंडों की प्रतियां, इनके निर्देश और अन्य तथ्य पत्रिकाएं और सहायक सामग्री ऐ एन जेड एफ ए की वेबसाईट (www.anzfa.gov.au) पर मिल सकती है। जब यह मापदंड हर राज्य व प्रदेश में जारी हो जाऐंगे तब खाद्य व्यवसाय सीधे स्थानिय परिषद् के वातावरण स्वास्थय अधिकारी या अपने राज्य या प्रदेश के स्वास्थय या स्वास्थय सेवाऐं विभाग और लोक स्वास्थय खंडों से सलाह ले सकते हैं।राज्य और प्रदेश के स्वास्थय विभाग व स्थानिय परिषदों के संपर्क का ब्यौरा एक अलग तथ्य पत्रिका "फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड - सौरसिस आफ इनफोरमेशन एन्ड एडवाइस " में है।

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942 Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571